राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 470/15/जयपुर (विविध प्रा. पत्र संख्या 29/2017) .... जिला–जयपुर............................. ....

उनवान – मैसर्स मुकेश शर्मा 41, रतनपुरी, अजमेर रोड जयपुर बनाम वा.क.अ. वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, वार्ड –III, जयपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2017	**खण्डपीठ** **श्री नत्थूराम, सदस्य** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अधिकृत प्रतिनिधि श्री विक्रम गोगरा एवं आर.के.अजमेरा उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित । विविध प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों की बहस सुनी गयी । प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्क युक्तियुक्त एवम् संतोषप्रद होने तथा उप–राजकीय अभिभाषक को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण, प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल अपील संख्या 470/2015/जयपुर पुनः नम्बर पर ली जाती है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रथम दृष्टया यही माना जा सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जिसे न्यायसम्मत नहीं माना जा सकता एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया जाना प्रतीत होता है। फलतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, नियमानुसार पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें। व्यवसायी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.09.2017 को समस्त रेकार्ड/दस्तावेज सहित उपस्थित होवें। निर्णय सुनाया गया। सदस्य 23/8/17 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	